संख्या-97/2022/2506/22-2-2021-17(954)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

*कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2* *लखनऊ: दिनांक 08 जुलाई, 2022*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार उर्फ गुड्डू पुत्र श्री रामलखन यादव, निवासी जनपद-झांसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 09.09.2021, दिनांक 27.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजकुमार उर्फ गुड्डू पुत्र श्री रामलखन यादव, मैहल्ला विकास कालौनी, कस्बा व थाना-चिरगांव, जनपद-झांसी का निवासी है। बन्दी द्वारा चुनावी रंजिश के कारण दिनांक 02.08.1998 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हथगोले, बन्दूक, रायफल व कट्टा से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-147/1999 में भा0द0वि0 की धारा-307/149, 302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-02, झांसी के आदेश दिनांक 25.01.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.03.2021 तक 15 वर्ष 07 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 07 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, झॉसी द्वारा बन्दी के रिहा होने पर पुन: अपराध किये जाने की पूर्ण सम्भावना होने तथा बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की उम्र 57 वर्ष 10 माह तथा जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झॉसी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजकुमार उर्फ गुड्डू (बन्दी संख्या-15563) पुत्र श्री रामलखन यादव, निवासी जनपद-झांसी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-97/2022/2506(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-झांसी ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।